



शैल

ई-पेपर

निष्पक्ष
एवं
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार



www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाइन साप्ताहिक

वर्ष 42 अंक-14 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 03-10 अप्रैल 2017 मूल्य पांच रूपए

क्या वीरभद्र की विजिलैन्स धूमल के खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति प्रकरण में मामला दर्ज कर पायेगी?

शिमला/शैल।

प्रदेश उच्च न्यायालय ने एचपीसीए के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इन्कार कर दिया है। इसमें अनुराग ठाकुर भी अभियुक्त नामजद हैं। इसी के साथ धूमल के खिलाफ 2013 से लंबित चली आ रही आय से अधिक सम्पत्ति की शिकायत पर जांच तेज हो गयी है। इस जांच के लिये विजिलैन्स की टीम पंजाब में जालन्धर जाकर आ गयी है। जालन्धर में धूमल परिवार का तब से कारोबार चला आ रहा है जब हमीरपुर पंजाब का ही भाग हुआ करता था। बल्कि कांगड़ा, ऊना और हमीरपुर के अधिकांश लोगों का पंजाब के विभिन्न शहरों में कारोबार है और बहुत से लोग तो पंजाब में स्थायी तौर पर ही बस गये हैं लेकिन उनका हिमाचल से भी पुरतैनी रिश्ता बराबर बना हुआ है। इसलिये धूमल और परिवार की पंजाब में संपत्तियां होना स्वभाविक है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि यह संपत्तियां वैध स्त्रोतों से बनाई गयी है या नहीं। दूसरा प्रश्न है कि 1998 में जब धूमल हिमाचल के मुख्यमंत्री बने उसके बाद कितनी संपत्तियां बनाई गयीं और वह क्या परिवार की आय से मेल खाती है या नहीं। धूमल ने इस संदर्भ में वीरभद्र को खुली चुनौती दी है कि वह विजिलैन्स की बजाये सीबी आई से जांच करवा ले। बल्कि एक बार धूमल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी पत्र लिखकर आग्रह किया था कि इस समय हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके तीनों व्यक्ति शान्ता, वीरभद्र और धूमल जिन्दा है इसलिये तीनों की ही सीबीआई से जांच करवा ली जाये। धूमल की इस चुनौति पर शान्ता और वीरभद्र की ओर से कोई प्रतिक्रिया तक नहीं आई थी। धूमल के खिलाफ 2003 में भी कांग्रेस नेताओं आनन्द शर्मा, मोती लाल बोहरा और अमरेन्द्र सिंह ने ऐसे ही आरोप लगाये थे। उस समय बड़ों में एक पत्रकार वार्ता में आनन्द शर्मा ने ऐसी सम्पत्तियों की एक लिस्ट भी जारी की थी लेकिन यह आरोपी कभी प्रमाणित नहीं हो पाये।

अब फिर सरकार के एक उप महाधिवक्ता विनय शर्मा की शिकायत पर धूमल के खिलाफ जांच करवाई

जा रही है। वीरभद्र जब से आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में सीबीआई और ई डी की जांच शेल रहे हैं तभी से वह इसके लिये धूमल, अनुराग



और जेटली को कोसते आ रहे हैं। वीरभद्र लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि उनके खिलाफ चल रही जांच इनका षड्यंत्र है। वीरभद्र धूमल को इस कदर कोस रहे हैं कि वह यहां तक कह रहे हैं कि यदि भाजपा सत्ता में आ गयी तो धूमल इसके मुख्यमंत्री नहीं होंगे। वीरभद्र यह भी की रहे हैं कि धूमल पार्टी में भी अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। कुल मिलाकर वीरभद्र की प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट झलक रहा है कि भाजपा में वह धूमल को ही अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वन्द्वी मानते हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों की नजर में इस समय धूमल-अनुराग को घेरना वीरभद्र की पहली प्राथमिकता बन चुकी है। क्योंकि यदि वीरभद्र की विजिलैन्स धूमल के खिलाफ पुराना आधारों पर आय से अधिक सम्पत्ति का मामला दर्ज कर लेती है तो यह मामला भी समानान्तर रूप से ईडी के पास पहुंच जायेगा जैसे वीरभद्र का अपना मामला पहुंचा हुआ है।

लेकिन धूमल के खिलाफ जब 2003 में अमरेन्द्र सिंह, आनन्द शर्मा और मोतीलाल बोहरा ने आरोप लगाये थे और इन आरोपों पर धूमल ने इन नेताओं के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था तब अमरेन्द्र सिंह ने तो इसमें बाद में क्षमा याचना कर ली थी। परन्तु आनन्द शर्मा और मोतीलाल बोहरा

के खिलाफ यह मामला आगे चला लेकिन अन्त में धूमल इसे अदालत में प्रमाणित नहीं कर पाये और यह याचिका खारिज हो गयी। इस पर

धूमल ने कहा था कि वह उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे। परन्तु यह अपील आज तक दायर

नहीं हुई है। इसी के साथ ए डी जी पी स्वी0 वी एस थिंड ने भी धूमल के खिलाफ लोकायुक्त में इसी आशय की एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर थिंड की मौत के बाद फौसला आया था। इस पर लोकायुक्त ने अपने फैसले में यह कहा है कि इस शिकायत में दर्ज आरोप शिकायत की तिथि से पांच वर्ष पहले के हैं और इस नाते उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर के हैं। इस तरह थिंड के आरोपों पर गुण-दोष के आधार पर फैसला नहीं आया है। एक तरह से यह आरोप अपनी जगह खड़े माने जा रहे हैं। अब यदि विजिलैन्स सूत्रों की माने तो विजिलैन्स इसी आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। माना जा रहा है कि विजिलैन्स इसी बिन्दु पर कानूनी विशेषज्ञों की राय ले रही है। सूत्रों का यह भी मानना है अब विजिलैन्स को जालन्धर से डीपीएस मामले के

भी कुछ सूत्र हाथ लगे हैं। लेकिन क्या इन सारे सूत्रों के बाद भी विजिलैन्स धूमल के खिलाफ मामला दर्ज कर पायेगी इसको लेकर कुछ हल्कों में सदेह व्यक्त किया जा रहा है। क्योंकि इस समय शान्ता, नड्डा, धूमल से लेकर भाजपा के निचले स्तर के नेताओं ने भी वीरभद्र सिंह से त्यागपत्र मांगना शुरू कर दिया है बल्कि भाजपा ने वीरभद्र के मामले को पूरे देश में प्रचारित-प्रसारित कर दिया है। सूत्रों का यह भी दावा है कि केन्द्र ने आईबी से भी प्रदेश के राजनीतिक हालात पर रिपोर्ट तलब की है। संभवतः इसी वस्तुस्थिति के कारण राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे हैं। इस समय प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य एकदम अनिश्चितता की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि क्या विजिलैन्स धूमल के खिलाफ मामला दर्ज करने का साहस कर पायेगी।

जीपीएफ के 800 करोड पर नहीं मिल रहा इन्कम टैक्स

शिमला/शैल।

वीरभद्र सरकार के वित्त विभाग ने कठिन वित्तीय स्थिति से उभरने के लिये सेवा निवृत्त कर्मचारियों को जीपीएफ का भुगतान करने की बजाये इस धन को अपने पास बैंक के रूप में जमा रखने की योजना शुरू की हुई है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक अब तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों का करीब 800 करोड़ से भी अधिक का जीपीएफ सरकार के पास जमा हो चुका है। कर्मचारी अपना जीपीएफ सरकार के पास इसलिए जमा रख रहे हैं कि उनको इस पर बैंक की दर पर ही सरकार ब्याज अदा कर रही है। इसके साथ इन कर्मचारियों को यह भी आश्वस्त किया गया है कि इस धन पर उन्हें कोई आयकर की अदायगी नहीं करनी पड़ेगी। वैसे जब कोई कर्मचारी सेवानिवृत्त होता

है और उसे उसका जीपीएफ आदि का इकट्ठा भुगतान होता है तब वह इस पैसे को या तो किसी काम में निवेश कर देता है या फिर बैंक में जमा रखता है। बैंक में जमा रखे पैसे पर जो ब्याज अर्जित होता है उस पर आयकर लागू होता है।

लेकिन सरकार इस पर कोई आयकर अदा नहीं कर रही है। सरकार का तर्क है कि यह कर्मचारियों का जीपीएफ है और इस पर कोई आयकर नहीं लगता। जबकि कर्मचारी जब तक सरकारी सेवा में रहता है तभी तक उसका जीपीएफ कटता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के बाद कोई जीपीएफ कटने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सेवानिवृत्ति के बाद सरकार इस पैसे पर कर्मचारियों को वैसे ही ब्याज दे रही है जैसा कि उसे इस पैसे को किसी बैंक में रखने

पर मिलता है। बैंक में रखे पैसे पर मिलने वाला ब्याज आयकर के दायरे में आता है। केन्द्र सरकार आयकर देने वालों का दायरा बढ़ाने के लिये हर संभव प्रयास कर रही है। लेकिन सरकार आज इस पैसे को अपने पास रखकर कर्मचारियों को इस प्रलोभन में रख रही है कि उन्हें इस पर इन्कम टैक्स से छूट मिल जायेगी।

इस सवाल पर सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग और वित्त विभाग के बीच पत्रचार भी हुआ है। आयकर विभाग ने इसे स्पष्ट रूप से आयकर एक्ट की अवहेलना माना है। माना जा रहा है कि अब तक करीब साठ करोड़ का आयकर विभाग को नहीं मिल पाया है। यह भी संभावना बनी हुई है कि अन्ततः इस पैसे पर कर्मचारियों को आयकर चुकता करना ही पड़ेगा क्योंकि इस पर आयकर विभाग की नजर बराबर बनी हुई है।

समाज में नव चेतना का संचार करते हैं कवि:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत शिमला के ऐतिहासिक गियटी थियेटर में भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय हिन्दी साहित्य कवि सम्मेलन के

ताकत होती है, जो किसी भी व्यक्ति में नव जीवन का संचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि कवि देश की पुंजी हैं, जो मानवीय मूल्यों को जन मानस तक पहुंचाने का कार्य करते हैं।



समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि देश की दशा व दिशा बदलने में कवि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और कविता में वह

कवि सामाजिक व्यवस्था को कविता से माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं और चिंतन व विवेक से समाज में नव चेतना का संचार करते हैं। उन्होंने कहा कि कवि सामाजिक चुनौतियों के

समाधान भी अपनी कविता के माध्यम से देते हैं और सामाजिक कुरीतियों पर मजबूती से चोट करते हैं। आचार्य देवव्रत ने भाषा एवं संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय हिन्दी साहित्य कवि सम्मेलन के आयोजन

के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के प्रयास भविष्य में और सुनियोजित तरीके से किए जाने चाहिए ताकि आम जन इसका पूरा लाभ उठा सके और उन्हें विख्यात कवियों के विचार सुनने को मिल सके। इससे समाज में दूरियां कम होंगी और सकारात्मक सोच भी पैदा होगी। इससे पूर्व, भाषा एवं संस्कृति विभाग की निदेशक शशि ठाकुर ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी।

पदम श्री कवि श्री सुरेन्द्र शर्मा तथा देश भर से आए अन्य कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से समां बांधा। सहायक निदेशक, भाषा एवं संस्कृति कर्नल नेगी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके पश्चात, राज्यपाल ने गेयटी थियेटर में आयोजित आदित्य सिंह ठाकुर की समकालीन कला शिल्प में हिमाचल के भू-दृश्य पर आधारित चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया।

हिमाचल के राज्यपाल की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भेंट

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र रावत से देहरादून में उनके सरकारी निवास पर भेंट की। यह एक शिष्टाचार भेंट थी। राज्यपाल ने उन्हें राज्य का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी और आशा जाहिर की उनके नेतृत्व में उत्तराखंड और अधिक प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड तथा हिमाचल की एक ही भौगोलिक स्थितियां एवं चुनौतियां हैं तथा दोनों राज्यों की संस्कृति में भी समानता है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों राज्य विशेषकर कृषक समुदाय के विकास के लिए कृषि तथा बागवानी क्षेत्र में बेहतर समन्वय के साथ कार्य कर सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को शून्य बजट प्राकृतिक कृषि अपनाने की भी सलाह दी। उन्होंने विभिन्न विकासवात्मक मुद्दों पर भी चर्चा की। रावत द्वारा उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने के उपरान्त हिमाचल के राज्यपाल की देहरादून की यह पहली यात्रा है।

मुख्यमंत्री ने किया राजकीय डिग्री कॉलेज नाहन के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने राजकीय डिग्री महाविद्यालय नाहन के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने

से समझता नहीं किया जा सकता। अधिकारियों ने आशवासन दिया कि इस भवन का निर्माण कार्य निर्धारित

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा इसे तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक भवनों के निर्माण के दौरान किसी भी स्तर पर गुणवत्ता समयावधि में पूरा किया जाएगा।



मुख्य सचिव ने भारी वर्षा तथा ओलावृष्टि की स्थिति का जायजा लिया

शिमला/शैल। मुख्य सचिव वी. सी. फारका ने प्रदेश में भारी वर्षा, ओलावृष्टि तथा ऊंची चोटियों पर हिमापात का जायजा लेने के लिए राज्य स्तरीय आपदा प्रबन्धन की विशेष बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में अभूतपूर्व ओलावृष्टि सहित भारी वर्षा दर्ज की गई है। उन्होंने लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा विद्युत विभागों को प्रभावित सड़कों, जलापूर्ति योजनाओं तथा बिजली आपूर्ति की प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने के निर्देश दिए।

कारण दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई जबकि आठ अन्य घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों को 10 हजार रुपये तथा घायल को 4000 रुपये प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है तथा पीड़ित के परिवार को 10 हजार रुपये प्रदान किए गए।

मुख्य सचिव ने कहा कि मण्डी जिला के उप मण्डल सुन्दरनगर में ढाक से फिसलने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला के उपमण्डल बैजनाथ के धाड़-जोत गांव में बिजली गिरने के कारण एक व्यक्ति तथा 15 मवेशियों की मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त 18 कच्चे घर तथा 5 गौशालाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई हैं। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला के उपमण्डल बंजार में तूफान से 15 कच्चे घर आंशिक रूप से

ध्वस्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार बंजार क्षेत्र में बागवानी के अन्तर्गत 1.84 लाख का अनुमानित नुकसान हुआ है।

उन्होंने कहा कि कुल्लू की प्राथमिक पाठशाला थाटीधार तथा बंजार के उच्च विद्यालय सारी की छतें आंधी के चलते क्षतिग्रस्त हुई हैं और चार लाख रुपये का नुकसान आंका गया है। उन्होंने कहा कि चम्बा में दो कच्चे घर तथा मण्डी जिला के जोगिन्दरनगर में एक पक्का घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीधर ने कहा कि उपायुक्तों तथा आपदा प्रबन्धन के अधीनस्थ अन्य लाईन विभागों को निधि पहले ही उपलब्ध करना दी है तथा इध राशि का उपयोग करने के बाद यदि आवश्यक पड़ी तो और धनराशि प्रदान करने को कहा।

मौसम विभाग के निदेशक डॉ. मनमोहन शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पिछले कल की 12.3 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई है जो सामान्य वर्षा 2.6 मिमी. से 381 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिले के कल्या में 63.4 मिमी. वर्षा दर्ज की गई है और इससे वर्ष 2002 का रिकार्ड टूटा है।

प्रधान सचिव (आईपीएच) अनुराधा ठाकुर, मण्डलायुक्त शिमला डॉ. आरएन. बत्ता, विशेष सचिव (राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन) डी.डी.शर्मा, निदेशक कृषि रमेश चंद और लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, नगर निगम शिमला और बागवानी के वरिष्ठ अधिकारी भी अग्यो सहित बैठक में उपस्थित थे।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT NOTICE INVITING TENDER									
The Executive Engineer, Nurpur Division HPPWD Nurpur-176202 on behalf of the Governor of Himachal Pradesh invited e-tenders on item rate basis, from approved and eligible contractors registered with HPPWD for the following work.									
S. No.	Divi sion	Name of work	Estimated Cost (Rs)	Earnest Money (Rs)	Time Allowed of compl ment	Class	Location	Date	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nurpur	Const. of Health Sub-Centre building at Rinna (SH-5 Const of main building portion including water supply and sanitary installation)	1815213/-	34750/-	Nine 500/- Months	Class D	Nurpur 16th Division May HPPWD 2017		
2.	Nurpur Imp.	Of black spot on Kulan to Chahin Lagore road kms 0.0 to 2.0 (SH-5 C/O U-shape drain with edge wall retaining wall and metalling tarring and steel crash barrier)	1667536/-	33200/-	Three 500/- Months	Class D	-Do- -Do- & C		
3.	Nurpur	Const. of extension of road from M.T.N. road to Kandor (SH-5 formation cutting side drain R/wall and metalling tarring (Deposit work)	1195656/-	23950/-	One 500/- Month	Class D	-Do- -Do- & C		
4.	Nurpur	Restoration of damages due to laying of underground cable on Pong Dam of Fatepur Jassar road kms 33.0 to 43/0 (SH-5 P/L bituminous concrete and U-Shape drain (S)	1430106/-	28650/-	Three 500/- Months	Class D	-Do- -Do- & C		

Tender documents either instruction and terms and condition can be downloaded or viewed on line from the portal <http://hptenders.gov.in> by the firms/individual registered on the website which is free of cost.
2. As the bids are to be submitted online required to be encrypted and digitally signed.
3. Key Dates.
1. Date of online publication 01.05.2017 at 11:30 AM
2. Downloading of e-tendering document From 01.05.2017 at 11:30 AM up to 15.05.2017 4:00PM.
3. Date of submission of e-tendering From 01.05.2017 at 11:30 AM up to 15.05.2017 at 4:00 PM.
4. Physically submission of earnest money deposit and cost of tender 16.05.2017 up to 11:00AM.
5. Date of technical bid opening evaluation of technical bid followed by financial bid 16.05.2017 at 11:30 AM.
Adv. No.-5088/16-17 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT			
E-PROCUREMENT NOTICE INVITATION FOR BIDS (IFB)			
The Executive Engineer HPPWD B&R Division Kumarsain HP on behalf of Governor of H.P. invited the online bids on item rate in electronic tendering system in 2 cover system for the under mentioned work from the eligible and approved contractors/ firms registered with HPPWD deaprtment.			
S. No.	Name of work	Estimated Cost	EMD Cost of Stipulated tender time period
1.	C/O Link road from simble Nallah to Dalahar km 0/0 1/000 (SH- C/ ORCC Hume pipe Culvert, Providing Kharanja stone Soling in km 0/0 to 1/000)	Rs.9,20,400/-	Rs.18500/- 350/- 6 Months
2.	C/O Link road from Gharat Khad to Malana up to Machimadhwani km. 0/000 (SH- C/ORCC Hume pipe Culvert, at Rd. 0/420 , 0/7025, 0/885 & C/O Retaining Wall at Rd. 0/195 to 0/0210 and Kharanja stone Soling at Rd. 0/000 to 2/210)	Rs.11,29,124/-	Rs.22600/- 500/- 6 Months
2. Availability of Bid Document and mode of submission : The bid document is available online and bid should be submitted in online on mode on website www.pmsgsyenders.gov.in . Bidder should register in the web-site which is free of cost. For submission of bids , the bidder is required to have Digital signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities(CA). Aspiring bidders who have not obtained their ID and password for participating in e-tendering in PMGSY may obtain the same from the website: www.pmsgsyenders.gov.in in Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.			
3. Key Dates. :-			
1.	Date of Online Publication :	20.04.2017 17:00 Hrs.	
2.	Document Download Start and End Date	20.04.2017 17:30 Hrs up to 12.05.2017 1800 Hrs.	
3.	Bid Submission Start and End Date	20.04.2017 17:30 Hrs up to 12.05.2017 1800 Hrs.	
4.	Physical Submission of EMD and Cost of Tender Document.	15.05.2017 upto 10:30 HRS	
5.	Date of Technical Bid opening Evaluation of Technical Bid followed by opening of Financial Bid	15.05.2017 up to 10:30 Hrs.	
4.Tender Details:-			
The Tenders documents shall be uploaded online in 2 cover.			
i) Cover-1 Shall contain scanned copies of all " Technical Documents/eligible Information"			
ii) Cover-2:- Shall contain. BOQ/Financial Bid where contractor will quote his offer for each item.			
5.SUBMISSION OF ORGINAL DOCUMENTS:-The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b)original bid security Earnest Money Deposit (EMD) and other Technical Documents in the office of the undersigned as specified in Key dates Sr .No. 4 on Tender Opening Date. Failing which the bid will be declared non-responsive.			
6.BID OPENING DETAILS:- The bids shall be opened on 15.05.2017 at 11:00 HRS in the office. In the office of the authorized officer. In their interest the tenders are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids a specified ,the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.			
7. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 90 days after the deadline date for bid submission.			
8. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bids updates. The Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.			
Adv. No.- 0053/17-18		HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK	

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार - ऋचा अन्व सहयोगी

भारती शर्मा

रजनीश शर्मा

राजेश ठाकुर

सुदर्शन अवस्थी

सुरेन्द्र ठाकुर

रीना

मुख्यमंत्री का आईआईएम स्नातकों से ग्रामीण क्षेत्रों व समाज के वंचित वर्ग के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने नाहन के समीप धौला कुआं में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) सिरमौर के दीक्षांत समारोह के अवसर पर आईआईएम स्नातकों से समाज के वंचित वर्ग के साथ-साथ ग्रामीण व पहाड़ी क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया ताकि उनकी विशेषज्ञता आर्थिक गतिविधियों के विकास और विस्तार में मददगार साबित हो सके।

उन्होंने कहा कि कुशल प्रबंधन

वीरभद्र सिंह ने संस्थान के संकाय से देश में प्रबंधन की जरूरतों के मद्देनजर व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया, जिससे न केवल उद्योग की चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा बल्कि राष्ट्र के विकास में भी प्रबंधन का महत्वपूर्ण योगदान हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन संस्थानों को निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई है और इन संस्थानों को संचालित करने के लिए अन्य प्रभावी कदम

आईआईएम सिरमौर के अलावा आईआईटी मंडी, एनआईटी हमीरपुर, निफ्ट कांगड़ा, आईआईआईटी ऊना, सीआईपीईटी बड़ी जैसे सभी प्रमुख तकनीकी शिक्षा संस्थान शामिल हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसंधान, विकास व प्रशिक्षण के साथ उन्नति के लिये निरंतर विकास अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष केवल कुशल एवं ऊर्जावान युवाओं के सहयोग से ही एक सुदृढ़ राष्ट्र बन सकता है।

आईआईएम सिरमौर के चेयरमैन अजय श्रीराम ने इस अवसर पर स्वागत करते हुए आईआईएम के लिये राज्य सरकार के समर्थन व सहयोग की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में सतत वृद्धि के चलते अनेक क्षेत्रों में विविध अवसर सृजित हो रहे हैं। नया जीएसटी युग देश की आर्थिकी में बदलाव लाएगा। उन्होंने कहा कि लाखों शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करना एक बड़ी चुनौती है।

आईआईएम के निदेशक नीलू रोहमित्र ने युवाओं से प्राप्त किए गए रोजगार में गुणवत्ता सुनिश्चित बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि गुणवत्ता प्राप्त हासिल करने के लिये अनुसंधान विकास व प्रशिक्षण अनिवार्य हैं।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिये रोजीवाला सुज जेरा लाल को जबकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये अनस अहमद को पुरस्कृत किया।



पर्यावरणीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सतत विकास से संबंधित जटिल मुद्दों को सरल बनाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के विश्व में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के रूप में उभरने से बड़े पैमाने पर व्यापारिक अवसरों और संक्षम प्रबंधकों की आवश्यकताओं का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

उठाकर संस्थाओं की स्थापना में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि आईआईएम, धौला कुआं सिरमौर के स्थायी परिसर की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने 200 एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में देश के नामी शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं जिनमें आईआईटीआई शिमला,

मुख्यमंत्री ने पांवटा में रस्ती 4.77 करोड़ रुपये कृषि उत्पादन विस्तार मण्डी की आधारशिला

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सिरमौर जिला के पांवटा साहिब में 4.77 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली कृषि उत्पादन विस्तार मण्डी की आधारशिला रखी तथा कृषि उपज मण्डी की ऑनलाईन सुविधा का लोकार्पण भी किया।

कृषि उपज विस्तार मण्डी में ग्रेडिंग तथा पैकेजिंग की सुविधा के अतिरिक्त 1.77 करोड़ रुपये का शीतल भण्डारण तथा फल पकाने के लिए चैम्बर होगा। इसका अलावा 2.21 करोड़ का फल भण्डारण तथा 80 लाख रुपये की वालनकुलित पुष्प मण्डी की सुविधा भी होगी। ऑनलाईन सुविधायुक्त कृषि उपज मण्डी से किसानों को घर बैठे अपने उत्पादों के दामों का पता लगाने की सुविधा मिलेगी और उपभोक्ताओं को बिना किसी मध्यस्थता के वाणिज्य दामों में उत्पाद खरीदने की सुविधा भी होगी। इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे कृषि क्षेत्र के नायक हैं और नवीन तकनीकों को अपनाकर सम्भावनाओं का सृजन करने में सक्षम हैं तथा राज्य की आर्थिकी में योगदान दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार

- प्रगतिशील किसान कृषि क्षेत्र में सम्भावनाएं सृजित करने में सक्षम
- मार्केट यार्ड का उद्देश्य कृषक समुदाय को लाभ पहुंचाना
- मुख्यमंत्री का कृषि में विविधता लाने का आग्रह

ने कृषि तथा बागवानी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न स्थानों में उदारतापूर्वक फल व सब्जी मण्डियों का निर्माण किया है ताकि किसान एवं बागवान अपने उत्पादों के

उन्होंने इस अवसर पर बागवानी विभाग द्वारा लगाई गई पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसमें गहरी रुचि ली।

स्थानीय विधायक की मांग पर मुख्यमंत्री ने यमुना नदी के तट पर सुरक्षा घेरे के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की घोषणा की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री से पीटीए प्रतिनिधियों ने मुलाकात की और अपनी मांगें रखीं जिस पर उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

इससे पूर्व, स्थानीय विधायक किरनेश जंग ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने विभिन्न स्थानीय मांगों सहित मुख्यमंत्री के समक्ष यमुना नदी के तट पर जान-माल की सुरक्षा का मुद्दा भी रखा। उन्होंने पांवटा साहिब के लिए विकासोन्मुख परियोजनाओं के लोकार्पण व आधारशिला रखने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।



उचित दाम प्राप्त कर लाभ अर्जित कर सके। वीरभद्र सिंह ने कृषक समुदाय से कृषि क्षेत्र में विविधता लाने को कहा जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी और साथ ही उन्हें उत्पादों के अच्छे दाम भी प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादों में गुणवत्ता सुनिश्चित बनाना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि कृषि उपज मण्डी समितियां उत्पादन वृद्धि में किसानों की सहायता करेंगी।

चूड़धार को आदर्श तीर्थ केन्द्र के रूप में किया जाएगा विकसित: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने चूड़ेश्वर सेवा समिति, चूड़धार की 16वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक महत्वपूर्ण तीर्थगमन रहा है, जहां वर्षभर लाखों श्रद्धालु शक्तिपीठ तथा अन्य धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के समस्त धार्मिक स्थलों में बेहतर व आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है ताकि श्रद्धालु इन स्थानों में सहजतापूर्वक पहुंच सकें। उन्होंने कहा कि चूड़धार को एक आदर्श तीर्थ केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा और यहां सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूड़धार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लोगों की आस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन राज्यों के सभी भागों से लोग

यहां देवता शिरगुल महाराज की पूजा-अर्चना के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि चूड़धार को मौजूदा दोनों ओर के रास्तों को सड़कों से जोड़ा जाएगा ताकि मंदिर में दोनों ओर से आने वाले श्रद्धालु आसानी से यहां पहुंच सकें। वीरभद्र सिंह ने कहा कि महत्वपूर्ण धार्मिक केन्द्रों में प्राथमिकता के आधार पर बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्होंने चूड़धार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने-पीने व ठहरने की व्यवस्था तथा अन्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए चूड़ेश्वर सेवा समिति के प्रयासों की सराहना की। चूड़ेश्वर सेवा समिति के सलाहकार एन.सी. चौहान ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए चूड़ेश्वर समिति के कार्यकलापों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समिति चूड़धार के लिए सम्पर्क मार्गों की सफाई तथा पर्यावरण संरक्षण बारे जागरूकता उत्पन्न करने के लिये अभियान चलाएगी।

टीसीपी ने जीता प्रदेश का सर्वाधिक इनोवेटिव प्रोजेक्ट अवार्ड

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश शहरी एवं नगर नियोजन विभाग (टीसीपी) को वर्ष 2015-16 के लिये प्रदेश के सर्वाधिक इनोवेटिव प्रोजेक्ट अवार्ड के लिए चुना गया है। मुख्य सचिव वी.सी.फारका की अध्यक्षता में गठित समिति ने विभाग के वैब-पोर्टल तथा ऑनलाईन सेवा प्रोजेक्ट को नागरिक अनुकूल सेवाओं के लिए सर्वाधिक इनोवेटिव प्रोजेक्ट के रूप में चुना। शहरी एवं नगर नियोजन के निदेशक संदीप कुमार ने कहा कि शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा के कुशल मार्गदर्शन तथा विभाग की टीम की आई.सी.टी. के हस्तक्षेप के माध्यम से पारदर्शिता तथा सक्षमता में एकाग्रता तथा मेहनत को राज्य सरकार ने भलीभांति सम्मान प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि गत दो वर्षों में विभाग में डिजिटल तथा मोबाइल गर्वनेस पूरी तरह लागू किया गया है। विभाग राज्य सरकार की सेवाओं की हर पल की जानकारी नागरिकों के घर-द्वार तक उपलब्ध करवाने में निरन्तर प्रयासरत है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश समूचे राज्य में भवन नियोजन स्वीकृति परियोजना को आरम्भ करने वाला देश का प्रथम राज्य है।

मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह द्वारा जनवरी, 2016 में लोकार्पित इस परियोजना में ऑनलाईन प्रस्तुति, ट्रैकिंग, सन्देश तथा स्वीकृति सहित अनेक

नागरिक मैत्री विशेषताएं हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाईन सुविधाओं के चलते विभाग की कार्यप्रणाली अब पेपरलेस हो चुकी है जिससे लोगों को कार्यालयों में आने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके फलस्वरूप प्रदेश के नगर निगमों तथा स्थानीय निकायों ने भी इस परियोजना का अनुसरण किया है।

मुख्यमंत्री द्वारा 15 अप्रैल को चम्बा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह में इस उपलब्धि के लिए टीसीपी विभाग को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, दो लाख रुपये की अतिरिक्त निधि तथा अवार्ड के अन्तर्गत मिलने वाली नकद राशि प्रदान की जाएगी।

शहरी विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा कि इस उपलब्धि के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। विभाग तथा हितधारकों के निरन्तर प्रयासों ने लोक केन्द्रित वैब इंटरफेस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि आम जनमानस ने परिवर्तन का समर्थन किया है तथा विभाग पूर्ण रूप से डिजिटल गर्वनेस को अपना चुका है।

यह वर्ष टीसीपी विभाग के मैनुअल से ऑनलाईन प्रणाली में तकनीकी परिवर्तन का साक्षी है। यह परिवर्तन कारोबार को सरल बनाने तथा विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने में बेहद सहायक सिद्ध हुआ है।

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ने किया 8549 मामलों का निपटारा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने 28 फरवरी, 2015 से कार्य आरम्भ करने से लेकर अभी तक कुल प्राप्त 15390 नए मामलों में से 8549 मामलों का निपटारा किया है।

ट्रिब्यूनल के एक प्रवक्ता ने बताया कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त 6400 मामलों में से 1051 मामलों का निपटारा गए हैं।

उन्होंने कहा कि 189 अवमानना

याचिकाएं, 13 समीक्षा याचिकाओं, 11 पूर्व याचिकाओं सहित 4359 विविध आवेदनों का निपटारा भी इस अवधि के दौरान किया गया है।

यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2009 से पूर्व के पुराने लम्बित मामला का निपटारा डिवीजनल बैंच द्वारा प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। वर्तमान में प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में दो डिवीजनल बैंच कार्य कर रहे हैं।

इस बात को कभी व्यक्त मत होने दीजिये की आपने क्या करने के लिए सोचा है, बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाये रखिये और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिये।चाणक्य

सम्पादकीय

ईवीएम पर उठते सवाल



पिछले दिनों मनीपुर, गोवा, उत्तराखण्ड, पंजाब और उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं के चुनाव संपन्न हुए हैं। इन राज्यों में पंजाब को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को मिली करारी हार पर मायावती ने इसके लिये वोटिंग मशीनों की विश्वनीयता पर सवाल उठाते हुए इनमें मैन्युपुलेशन होने का आरोप लगाया है। मायावती की पार्टी ने इस आशय की सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर कर दी है। मायावती के बाद आम आदमी पार्टी ने भी इसी तरह का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग के पास अपना प्रतिवेदन दायर किया है। इसी बीच मध्यप्रदेश के भिण्ड में एक विधानसभा चुनाव के लिये ईवीएम मशीन का एक अधिकारिक परीक्षण किया गया और इसमें यह सन्देश और पुष्टा हो गया कि मशीन में मैन्युपुलेशन की जा सकती है। भिण्ड का मुद्रा राज्यसभा में उठा है। लेकिन इस पर नियम 267 के तहत चर्चा की अनुमति नहीं दी गयी। राज्यसभा में यह मुद्रा मध्यप्रदेश से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने उठाया था। ईवीएम मशीन पर मैन्युपुलेशन की संभावना के सवाल उठाना लोकतन्त्र के लिये बहुत घातक हो सकता है। यह मामला इस समय सर्वोच्च न्यायालय के पास लंबित है। इसलिये इस पर अदालत के फैसले का इन्तजार करना आवश्यक है।

ईवीएम मशीन पहली बार 1982 में प्रयोग के तौर पर चुनाव आयोग ने इस्तेमाल की थी उस समय इसकी वैधानिकता पर सवाल उठे और इसके लिए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में संशोधन कर धारा 61 A जोड़ी गयी इसी के साथ एक चुनाव सुधार कमेटी का आयोग ने गठन किया। इस विशेषज्ञ कमेटी ने अप्रैल 1990 में अपनी सिफारिशें आयोग को दी। इसके बाद वर्ष 2000 से इसका प्रयोग राज्यों की विधानसभाओं के चुनावों और लोकसभा के 2004, 2009, और 2014 के आम चुनावों में हुआ है। लेकिन हर बार इस पर सवाल भी उठते रहे हैं। 2001 में मद्रास उच्च न्यायालय, 2002 में केरल उच्च न्यायालय और 2004 में मुंबई, दिल्ली और कर्नाटक उच्च न्यायालय में इस संदर्भ में याचिकाएं आयी हैं। इसके बाद जुलाई 2011 में सर्वोच्च न्यायालय में राजेन्द्र सत्यनारायण गिल्ला की जनहित याचिका आयी और शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को इसे Modify करने के निर्देश दिये। इसके बाद जनवरी 2012 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने डा. सुब्रह्मन्यमस्वामी की 2009 की याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 'EVM & are temper proof' डास्वामी इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में चले गये। इस पर चुनाव आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि VVPAT सिस्टम को लेकर दायर चल रहा है और इसकी स्टेटस रिपोर्ट जनवरी 2013 में अदालत में पेश की जायेगी। इस पर अक्टूबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला देते हुए कहा कि Election Commission of India will use VVPAT alongwith EVMS in a phased manner and the full completion should be achieved by 2019 इस परिदृश्य में यह स्पष्ट हो जाता है कि ईवीएम मशीन की विश्वसनीयता पर पहले ही दिन से सवाल उठते आ रहे हैं। अदालतों ने भी हर बार इसमें सुधार की संभावनाओं को मानते हुए इसमें VVPAT सिस्टम लागू करने के निर्देश दिये हैं।

VVPAT सिस्टम में मशीन पर बटन दबाने के साथ ही उसकी कागज पर प्रिन्ट रिपोर्ट भी आ जायेगी और उससे वोट डालने वाले व्यक्ति को पता चल जायेगा कि जिसके लिये उसने बटन दबाया था उसी के पक्ष में उसका वोट पड़ा है। इस सिस्टम से विश्वसनीयता पर उठने वाले सवालों को विराम मिल जायेगा। लेकिन चुनाव आयोग को इसके लिये 3174 करोड़ रुपये की आवश्यकता है चुनाव आयोग ने शीर्ष अदालत से यह कहा है कि जब सरकार यह पैसा दे देगी तो उसके बाद तीस माह के अन्दर ही इस सिस्टम को सभी जगह लागू कर पायेगा। इस समय आयोग के पास 53500 मशीनें इस VVPAT सिस्टम से लैस हैं। अभी तक 255 विधानसभा क्षेत्रों और नौ संसदीय क्षेत्रों में इन मशीनों का उपयोग किया जा चुका है। आज पंजाब के चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाये हैं। पंजाब में 117 और उत्तराखण्ड में 70 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में चुनाव आयोग इन राज्यों में बड़ी सहजता से इन VVPAT सिस्टम मशीनों का उपयोग कर सकता था क्योंकि वह 255 विधानसभा क्षेत्रों में पहले ही इनका उपयोग कर चुका है। ऐसे में आने वाले समय में जब गुजरात और हिमाचल विधानसभा के चुनाव आयेंगे तब इन राज्यों में इन मशीनों का उपयोग करके विश्वसनीयता पर उठने वाले सवालों को विराम मिल सकेगा। क्योंकि इस समय भाजपा ने देश को कांग्रेस मुक्त करने का जो राजनीतिक अभियान छेड़ रखा है उसमें इस तरह के आरोप लगना स्वाभाविक है। इसमें केन्द्र सरकार की भी अपनी विश्वनीयता बनाये रखने के लिये चुनाव आयोग को इतना धन देना ही होगा। यदि अभी इतने धन का प्रावधान नहीं किया जाता है तो 2019 के चुनावों में भी इस सिस्टम का लागू हो पाना संदिग्ध हो जायेगा और सरकार की नीयत पर सवाल उठेंगे जो देशहित में नहीं होंगे।

डॉ. हेडगेवार-भारत के परिवर्तन के वास्तुकार

यदि हमें किसी ऐसे व्यक्तित्व का चयन करना हो, जिनके जीवन और संगठनात्मक क्षमता ने किसी औसत भारतीय के जीवन को सर्वाधिक प्रभावित किया हो, वह व्यक्तित्व निर्विवाद रूप से डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार होंगे।

तरुण विजय

नागपुर में 1889 में हिंदू नव वर्ष (1 अप्रैल) को जन्में, डॉ. हेडगेवार आगे चलकर राष्ट्र की हिंदू सभ्यता से संबंधित विरासत के प्रति सुस्पष्ट गौरवयुक्त आधुनिक सर्वशक्तिमान भारत के वास्तुकार बनें।

यह एक ऐसे महान व्यक्ति की अविश्वसनीय गाथा है, जो समर्पित युवाओं की एक ऐसी नई व्यवस्था के साथ समाज में परिवर्तन लाने में सफल रहा, जिसका प्रसार आज - तवांग से लेकर लेह तक और ओकहा से लेकर अंडमान तक भारत के कोने-कोने में देखा जा रहा है।

उन्होंने 1925 में विजय दशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की स्थापना की थी, लेकिन इसे यह नाम एक वर्ष बाद दिया गया। इस संगठन के बारे में पहली घोषणा एक साधारण वाक्य - 'मैं आज संघ (संगठन) की स्थापना की घोषणा करता हूँ' के साथ की गई। इस संगठन को आरएसएस का नाम साल भर के गहन विचार-विमर्श और अनेक सुझावों के बाद दिया गया, जिनमें - भारत उद्धारक मंडल (जिसका अस्पष्ट अनुवाद - भारत को पुनर्जीवित करने वाला समाज) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शामिल थे। इसका प्रमुख उद्देश्य आंतरिक झगड़ों का शिकार न बनने वाले समाज की रचना करना और एकजुटता कायम करना था, ताकि भविष्य में कोई भी हमें अपना गुलाम न बना सके। इससे पहले वे कांग्रेस के सक्रिय सदस्य और कांग्रेस के प्रसिद्ध नागपुर अधिवेशन के आयोजन के सह-प्रभारी रह चुके थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और आजादी के लिए जोशीले भाषण देने के कारण उन्हें एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। वह अनुशीलन समिति के क्रांतिकारियों और उसके नेता पुलिन बिहारी बोस के साथ संबंधों के कारण भी ब्रिटेन के निशाने पर थे।

लेकिन उन्हें अधिक प्रसिद्धि नहीं मिली और उनके जीवन के बारे में उन लोगों से भी कम जाना गया, जिनको उन्होंने संचे में डाला था और जो आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी-मानी हस्तियां बनें। आज भारत में अगर किसी संगठन द्वारा सेवाओं और परियोजनाओं का विशालतम नेटवर्क संचालित किया जा रहा है, तो वह संभवतः आरएसएस हैं। डॉ. हेडगेवार से प्रेरणा प्राप्त लोगों द्वारा संचालित जा रहा नेटवर्क ही है। इन परियोजनाओं की संख्या एक लाख 70 हजार है,

जिनमें अस्पताल, बस बैंक, आइ बैंक, दिव्यांगों, दृष्टि बाधितों और थेलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की सहायता के लिए विशेष केंद्र शामिल हैं। चाहे युद्ध काल हो या प्राकृतिक आपदा की घड़ी - हेडगेवार के समर्थक मौके पर सबसे पहले पहुंचते हैं और राहत पहुंचाते हैं। चाहे चरखी दादरी विमान दुर्घटना हो, सुनामी, भूज, उत्तरकाशी भूकम्प या पढ़ने क्यों भेजते हैं, जिसकी स्थापना आरएसएस के संस्थापक की याद में की गई है?

मेरी मुलाकात एक अभिभावक श्री जलील बेग से हुई, जिनके वंश का संबंध मुगलों से है। वे पत्रकार हैं और उर्दू दैनिक मुस्लिम के लिए लिखते हैं। उन्होंने कहा कि उनका परिवार इस स्कूल को पढ़ाई के लिए अच्छा मानता है, क्योंकि यह स्कूल गरीबों और आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराता है। सबसे बढ़कर इस स्कूल का स्तर अच्छा है और उसमें डिजिटल क्लास भी है, जहां बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान की जाती है। मैंने स्कूल की नन्हीं सी छात्रा राफिया को लयबद्ध ढंग से 'हिंद देश के निवासी सभी हम एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं' गाते सुना।

कई प्रमुख नेताओं पर बहुत अधिक प्रभावित करने वाले डॉ. हेडगेवार ने 'सबका साथ सबका विकास' थीम को पूर्ण गौरव के साथ प्रस्तुत करते अपने पौनिक गांव के माध्यम से एक सर्वोत्तम उपहार दिया है।

जिस व्यक्ति ने लाखों लोगों को अखिल भारतीय विजय प्रदान किया, प्रतिभाशाली भारतीय युवाओं को प्रचारक भिक्षुओं के रूप में एक ऐसी नई विचारधारा का अंग बनने के लिए प्रेरित किया, जो भले ही गेहूँ वस्त्र धारण न करें, लेकिन तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत करते हुए लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जाति के साथ, बिना किसी प्रचार के, मीडिया की चकाचौंध से दूर रहते हुए प्रभुता के उत्थान में अपना उत्कृष्ट योगदान दें। यह एक ऐसे भारत की गाथा है, जो अभूतपूर्व रूप से बदल रहा है।

डॉ. हेडगेवार ने लाखों लोगों को राष्ट्र के व्यापक कल्याण के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया, भारत के सार्वभौमिक मूल्यों और धार्मिक परम्पराओं के लिए गर्व और साहस की भावना से ओत-प्रोत किया, जिसके बारे में देश को अधिक जानकारी प्राप्त करने और उसका आकलन किए जाने की आवश्यकता है। वे भारत में परिवर्तन के अब तक के सबसे बड़े प्रवर्तक हैं। पसूका

गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करने की ओर अग्रसर

स्वैच्छिक समुदाय सेवा के माध्यम से युवा छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के प्राथमिक उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) को 1969 में शुरू किया गया था। शुरुआत में इसे 37 विश्वविद्यालयों में शुरू किया गया था जिसमें लगभग 40,000 स्वयंसेवियों को शामिल किया गया था। हालांकि, समय बीतने के साथ-साथ अखिल भारतीय कार्यक्रम बन गया। एनएसएस के अंतर्गत आने वाले शैक्षणिक संस्थानों की संख्या में प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी हो रही है। वर्तमान में 39,695 एनएसएस इकाइयों में 36.5 लाख से अधिक स्वयंसेवी हैं जो देश के 391 विश्वविद्यालयों/2 परिषदों, 16,278 कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों तथा 12,483 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में फैले हुए हैं। इसकी स्थापना के बाद से, 4.78 करोड़ छात्रों को एनएसएस से लाभ हुआ है।

आलोक देशवाल

प्रत्येक एनएसएस स्वयंसेवी को प्रति वर्ष कम से कम 120 घंटे अर्थात् दो साल में 240 घंटे की सेवा करना अनिवार्य होता है। यह कार्य एनएसएस शाखाओं द्वारा अपनाए गए गांवों/झोपड़ियों या स्कूल/कॉलेज परिसरों में किया जाता है। आमतौर पर अध्ययन के घंटों के बाद इसे सप्ताहांत/छुट्टियों के दौरान किया जाता है। इसके अलावा, प्रत्येक एनएसएस इकाई स्थानीय समुदायों को शामिल करके कुछ विशेष परियोजनाओं के साथ छुट्टियों में अपनाए गए गांवों या शहरी झुग्गियों में 7 दिनों की अवधि के विशेष शिविरों का आयोजन करती है। प्रत्येक स्वयंसेवक को 2-वर्ष की अवधि के दौरान एक बार विशेष शिविर में भाग लेना जरूरी होता है। इस प्रकार, एक इकाई से लगभग 50 प्रतिशत एनएसएस स्वयंसेवी विशेष शिविर में भाग लेते हैं।

एनएसएस इकाइयां उस गतिविधि का आयोजन कर सकती हैं जो समुदाय के लिए प्रासंगिक है। समुदाय की जरूरतों के अनुसार गतिविधियां जारी हैं। मुख्य गतिविधियों वाले क्षेत्रों में शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सेवा कार्यक्रम, महिलाओं की स्थिति में सुधार, उत्पादन उन्मुख कार्यक्रम, आपदा राहत तथा पुनर्वास संबंधी कार्यक्रम, सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान, डिजिटल भारत, कौशल भारत, योग इत्यादि जैसे प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करना आदि शामिल हैं।

एनएसएस केंद्र सरकार का कार्यक्रम है। फिर भी केंद्र सरकार, राज्य/संघ शासित प्रदेश और शैक्षिक संस्थान इस कार्यक्रम के 3 स्तंभ हैं। देशभर में 29,000 शैक्षिक संस्थानों का प्रभावी संचालन सीधे केंद्रीय युवा

“नॉट मी, बट यू” है। एक एनएसएस स्वयंसेवी “स्वयं” से पहले ‘समुदाय’ को स्थान देता है। यह शिक्षा के तीसरे आयाम का हिस्सा है, अर्थात् मूल्यवर्धक शिक्षा है जो कि तेजी से महत्वपूर्ण बनती जा रही है।

स्वयं के व्यक्तित्व को विकसित करने के अलावा एनएसएस स्वयंसेवियों ने समाज के प्रति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पिछले वर्ष के दौरान, एनएसएस इकाइयों ने देश भर में गांवों/झोपड़ियों में 12,628 विशेष शिविरों का आयोजन किया था। एनएसएस स्वयंसेवियों ने श्रमदान के रूप में 91 लाख घंटे स्वयं सेवा की और, 1.98 लाख यूनिट रक्तदान किया तथा 13.27 पौधों का रोपण किया। स्वयंसेवियों ने स्वास्थ्य, आरव और टीकाकरण से संबंधित 7,051 शिविर आयोजित किए। विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा सामाजिक मुद्दों पर रैलियों के माध्यम से 30,011 जागरूकता

तक एनएसएस में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या 10% से कम है। एनएसएस के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एनएसएस के लिए स्वयं-वित्तपोषण इकाइयों की स्थापना की भी अनुमति दे दी गयी है। छात्रों को एनएसएस

अभियान शुरू किया गया है। ‘डिजिटल इंडिया’ पहल भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था में बदलने की कोशिश है। डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अवसर



के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए, यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को एनएसएस को क्रेडिट के साथ एक वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू करने के लिए एक एडवायजरी जारी की है। एनएसएस के स्वयंसेवियों द्वारा किए अछड़े कार्यों के लिए मंत्रालय उन्हें पुरस्कृत भी करता है। इसके तहत राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक एनएसएस पुरस्कार दिए जाते हैं जिसमें एनएसएस स्वयंसेवियों को गणतंत्र दिवस परेड, अंतर्राष्ट्रीय युवा शिविर, साहसिक कैंप आदि में भाग लेने का अवसर दिया जाता है।

एनएसएस के तहत बहुत अछड़े कार्य किए जा रहे हैं और इसमें और ज्यादा अछड़े कार्य करने की क्षमता है। छात्र और एनएसएस स्वयंसेवी युवा भारतीय हैं और वे समाज के सबसे गतिशील वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में भारत सरकार ने ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत के बाद एक एकजुट, मजबूत और आधुनिक भारत बनाने के लिए ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ के मिशन पर कार्य शुरू किया है। कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की गई है। भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए ‘मेक इन इंडिया’

प्रदान करने तथा विदेशों में अवसरों के लिए भारतीयों को तैयार करने के लिए ‘स्किल’ बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट समेत कई पहलों की शुरुआत की गई है। स्वच्छ और हरित भारत के निर्माण के लिए ‘स्वच्छ भारत मिशन’ और ‘स्वच्छ गंगा मिशन’ की शुरुआत की गयी है। काले धन को खत्म करने और हमारे समाज में पारदर्शिता लाने के लिए एक निरंतर और निर्धारित अभियान चल रहा है। इन पहलों में एनएसएस स्वयंसेवियों के साथ-साथ लाभार्थी भी योगदान दे सकते हैं।

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) द्वारा किए गए एक मूल्यांकन अध्ययन में एनएसएस के महत्व को रेखांकित किया गया था। अपनी अध्ययन रिपोर्ट में, टीआईएसएस ने निष्कर्ष निकाला कि एनएसएस भारत सरकार द्वारा न शुरू की गयी एक शानदार और वैचारिक रूप से प्रेरित योजना है और एनएसएस दुनिया में युवाओं के कार्यक्षेत्र में सबसे बड़ा प्रयोग है। यहां तक कि, टीआईएसएस ने सिफारिश की है कि सभी सार्वजनिक और निजी वित्तपोषित विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और संस्थानों में एनएसएस को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए और इसे पाठ्यक्रम के भाग के रूप में एकीकृत करना चाहिए।

पसूका



और खेल मंत्रालय के माध्यम से करना संभव है। केंद्र और राज्यों के बीच प्रभावी सहयोग/सहकारिता के कारण राज्यों और शैक्षिक संस्थानों में कार्यक्रम का कार्यान्वयन संभव हो सका है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है स्वैच्छिक समुदाय सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र के विकास के प्राथमिक उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) को शुरू किया गया था। एनएसएस का उद्देश्य ‘सेवा के माध्यम से शिक्षा’ है। एनएसएस की वैचारिक उन्मुखता महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित है। एनएसएस का आदर्श वाक्य

कार्यक्रमों का आयोजन किया। एनएसएस स्वयंसेवियों ने लगभग 6 लाख बच्चों को पल पोलियो टीकाकरण की सुविधा प्रदान की। स्वयंसेवी स्वच्छ भारत मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा ये डिजिटल साक्षरता का प्रसार और योग के लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पिछले साल अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, देश भर में लगभग 11.19 लाख एनएसएस स्वयंसेवियों ने योग कार्यक्रमों में भाग लिया था।

युवा और खेल मामलों का मंत्रालय बड़े पैमाने पर एनएसएस के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। अभी

मोदी सरकार के दो आयकर अफसरों चुनाव कराने की हसरत है तो ने साजिश कर फसाया मुझे: वीरभद्र मई-जून में कमी करा लें धूमल

शिमला/शैल। आप से अधिक संपत्ति मामले में फंसे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने मोदी सरकार में वित्त मंत्री अरुण जेटली के मंत्रालय के दो अफसरों का नाम लेकर मोदी सरकार पर उन्हें फंसाने के लिए साजिश रचने का संगीन इल्जाम लगा दिया है। वीरभद्र सिंह का अफसरों का नाम लेकर इल्जाम लगाना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि ये सही है कि जब कोई नेता घोटालों में फंस्ता है तो वो इस तरह की बयानबाजी करता ही है।

वीरभद्र सिंह ने मीडिया को आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर इल्जाम लगाया कि आरएसएस पृष्ठभूमि के एक अधिकारी विनोद शर्मा उप निदेशक आयकर फरीदाबाद को उनके कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर आयकर विभाग चंडीगढ़ से मिले निर्देशों के अनुसार झूठी, आधारहीन तथा मनपंडित सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं डोजियर तैयार करने को कहा गया, जिसका उद्देश्य प्रवर्तन निदेशालय एवं सीबीआई को झूठे मामले तैयार करने में सहायता देना था।

जहां तक फार्म लैंड खरीदने का मामला है उसे उनके बेटे विक्रमादित्य की मै. पैपल कम्पनी द्वारा 1.20 करोड़ से खरीदा गया था, जिसके लिए उनके बेटे ने अपने खाते से 90 लाख की अदायगी उचित बैंकिंग चैनलों के माध्यम से की गई और शेष राशि उन्होंने स्वयं व्यक्तिगत जमा पूंजी से दी। उनके परिवार ने वी चन्द्रशेखर से 5.90 करोड़ रुपये की राशि का ऋण लिया और उस राशि को बहुत समय पहले पूरे ब्याज के साथ वापिस किया और उपयुक्त ढंग से आयकर राशि की भी अदायगी की।

उन्होंने कहा कि यह रिकार्ड में दर्ज है कि सम्पत्ति 1.20 करोड़ रुपये में

खरीदी गई परन्तु ईडी द्वारा इसकी मूल्यांकन 27 करोड़ रुपये का किया गया। यह भी पता चला है कि एक अधिकारी अजय सिंह जिनकी धर्मपत्नी उत्तर प्रदेश में भाजपा की विधायक है, को नई दिल्ली स्थित आयकर के सहायक आयुक्त के रूप में मैपल की सम्पत्ति के आकलन की जिम्मेवारी सौंपी गई, जिन्होंने जानबूझ कर इस सम्पत्ति के मूल्य का कई गुणा आकलन कर इसे 27 करोड़ रुपये का दर्शाया और अब ईडी आधारहीन राजस्व आकलन की राशि को सनसनीखेज बनाने के लिए 27 करोड़ रुपये की दर्शा रही है, ताकि उनकी छवि को खराब किया जा सके।

उन्होंने कहा कि यह सभी तथ्य रिकार्ड पर हैं परन्तु फिर भी वर्ष 2013 से उनको तथा उनके परिवार के सदस्यों को कई केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय एजेंसियों का किस स्तर तक दुरुपयोग किया जा रहा है, यह इससे स्पष्ट होता है कि उनके पुत्रियों के विवाह तथा पुत्र को कानूनी रूप से व्यवसाय उपनाने में सहयोग को भी एक अपराध के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और उनके विरुद्ध ऐसी कानूनी कार्रवाई की जा रही है, जैसे यह राजस्व मामला न होकर कोई आपराधिक मामला हो।

उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यह सब एक सुनियोजित योजना के अन्तर्गत कर रहा है, यह इस बात से स्पष्ट होता है कि कम्पनी की सम्पत्ति को सम्बद्ध करने से पहले उन्हें कानूनी नोटिस तक नहीं दिया गया और मीडिया को इस कार्रवाई के बारे में गैर-सरकारी रूप में सूचित

किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई का समय इसे और अधिक संदेहास्पद बनाता है।

उन्होंने कहा कि इसी मामले को वर्ष 2012 में प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा नेता अरुण जेटली ने भी राजनीतिक लाभ के दृष्टिगत उठाया था परन्तु प्रदेश के लोगों ने उनके इन आरोपों को पूर्ण रूप से खारिज किया और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता सौंपी। उन्होंने कहा कि वे इन सभी आरोपों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। बहरहाल, वीरभद्र सिंह ने कहा है कि उनके खिलाफ की गई कार्रवाई योजनाबद्ध तरीके से साजिश के तहत उनकी सार्वजनिक छवि को विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत धूमिल करने का प्रयास है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जल्द की गई सम्पत्ति के तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का इल्जाल भी लगाया व कहा कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि मामले को सनसनीखेज बनाया जा सके।

उन्होंने मोदी सरकार पर सीधे-सीधे हमला बोल दिया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए राजनीतिक विरोधी साजिश रचेंगे, इसकी तो उन्हें अपेक्षा थी, परन्तु यह चिंता का विषय है कि एक उत्तरदायी सरकार को एजेंसी इस प्रकार का व्यवहार करेगी और उनके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाएगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार प्रदेश की निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है और ईडी व सीबीआई का उनके खिलाफ झूठे आरोपों की जांच के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है, हालांकि अभी तक इन मामलों में उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ है।

शिमला/शैल। भोरंज उप-चुनाव में पूर्व सीएम प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने वीरभद्र सिंह को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उन्हें चुनाव कराने की इतनी ही हसरत है तो मई-जून में कभी भी चुनाव करा लें। जनता के दिलों में क्या है सबको पता चल जायेगा।

प्रो. धूमल ने भोरंज विस के हिस्मर, डोह, दलालड़, टिककर, सपनेहड़ा और लाल्यार में नुककड़ सभाओं को सम्बोधित किया और आने वाली 9 तारीख को भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आहवान किया। उन्होंने वीरभद्र सिंह के रैली में दिए गये बयान पर की भाजपा वाले यदि चाहते हैं की चुनाव एक साथ हों तो करवा लो, पर प्रतिक्रिया देते हुये कहा की हम तो चार सालों से कह रहे हैं। यह काम तो वीरभद्र सिंह को ही करना था, चुनाव आयोग से बात कर विस भंग करते। वीरभद्र का सिंह की बातों को गंभीरता से लेने का कोई औचित्य नहीं है। उमर के इस पड़ाव में वह भूल गये हैं की उनका अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारियाँ क्या हैं। उन्होंने चुनौती दी की मई जून में चुनाव करवा कर देख लो।

समाज का हर वर्ग नाराज है। बच्चों को वडी नहीं, विद्यार्थियों को रूसा लगा दिया, डिपुओं में एक साथ पांच-पांच आईएम नहीं मिलती, कर्मचारियों को डीए नैन, एचआरटीसी के पेंशनधारकों को पेंशन नहीं मिलती, पुलिस के जवान तक भी ठेके पर रखे जा रहे हैं। प्रदेश खतरे में है। आईएसआईएस के आतंकवादी कुलू के बंजार में पकड़ा जा रहा है। आईएसआईएस ने सीरिया जैसे मुल्कों

को तबाह कर दिया। दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते पकड़ लिया नहीं तो दशहरे में क्या हो जाता पता नहीं। नाहन-कालाम्ब में हथियार और विध्वंसक सामग्री मिल रही है। सुबलू में आईएसआईएस के नारे लिखे मिल रहे हैं। नूरपुर से लेकर सिरमौर पोटा साहिब तक महिलाओं के गले से चेन स्नैचिंग हो रही है। प्रदेश सरकार के पास कानून व्यवस्था बनाये रखने का टाइम ही नहीं है।

कांग्रेसी एजेंट कह रहे हैं छ: महीनों में जाने क्या कर देंगे। तो साढ़े चार साल तक क्यों नहीं किया? कुछ कांग्रेसी कह रहे केंद्र से कुछ नहीं मिल रहा। प्रदेश में जब भाजपा सरकार थी तो केंद्र ने पांच सालों में सिर्फ 20 हजार छ: सौ पचीस साथ हों तो करवा लो, पर प्रतिक्रिया देते हुये कहा की हम तो चार सालों से कह रहे हैं। यह काम तो वीरभद्र सिंह को ही करना था, चुनाव आयोग से बात कर विस भंग करते। वीरभद्र का विकास भाजपा की देन है। कांग्रेस ने किया क्या है? इसीलिए भाजपा को वोट दो चुनाव उप चुनाव नहीं इतिहासिक चुनाव होने वाला है। 9 का अंक भाजपा के लिए लाली है। 9 को वोट डालो। गिन्तनी वाली तारीख का जोड़ भी 9 होगा। और गिन्तनी भी 99 मतदान केन्द्रों पर पड़े मतों की होगी।

इस अवसर पर विधायक रविन्द्र रवि, विक्रम जरियाल, गोविन्द ठाकुर, पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा, पूर्व विधायक विपिन परमार, नरेंद्र अत्री, राकेश ठाकुर, अंकुश दत्त शर्मा, दीपक शर्मा, दलबीर चौहान, अनिल गादोला, प्यार चंद, कर्मी धीमान, रूपा ठाकुर, सुषमा ठाकुर, सुरजीत ठाकुर, अभयवीर लवली, जग सिंह ठाकुर, अभिषेक जोशी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री गलतफहमी का शिकार हिमाचल के गाँव में पानी पहुँचाने का श्रेय भाजपा सरकार को: रवि

शिमला/शैल। भोरंज उप-चुनाव में भाजपा प्रत्याशी डॉ अनिल धीमान के समर्थन में प्रचार करते हुए पूर्व सिंचाई मंत्री ने डोह में पत्रकारों के सवालों के उत्तर में भोरंज की पानी की समस्या पर जम कर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह



लगातार वर्षों से बहुत बड़ी गलतफहमी है की प्रदेश में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने कुछ किया है। उन्होंने याद दिलाया की प्रदेश में पीने का पानी उपलब्ध कराने का श्रेय भाजपा को जाता है। 1977 से पहले प्रदेश के कितने गाँवों में पीने का पानी पहुँचता था। प्रदेश में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी जिसमें गांव गांव तक पीने का पानी पहुँचाने का काम

शुरू किया गया। 1990 तक प्रदेश में कोई हैन्डपम्प नहीं होता था। उसका बाद हैन्डपम्प लगाने की योजना शुरू की गई थी। प्रदेश में पीने के पानी के बड़े प्रोजेक्टों के निर्माण का श्रेय प्रो. प्रेम कुमार धूमल को जाता है। 2007 में जब उनकी सरकार बनी और मुझे सिंचाई विभाग का मंत्री का दायित्व सौंपा गया तो उन्होंने मुझे निर्देश दिए की जो यह 2007 से पहले प्रदेश में पानी के टैंकों के उपार 18 करोड़ रूपए का खर्चा किया जाता था, उसकी जगह बड़े पेयजल प्रोजेक्टों की योजनायें लेकर आये।

उन्होंने कहा की हमीरपुर जिला में पेयजल समस्या के लिए कोई यदि जिम्मेवार है तो वो कांग्रेस पार्टी है जो वर्षों तक प्रदेश पर राज करते रहे। 1998 से 2003 की सरकार के समय में धूमल सरकार ने सुजानपुर की जाखू जगह से पानी की योजना का काम चला जो पानी उठा कर अल्वाहदेवी तक पहुँचा, उससे आगे बड़ी लाइन से था। प्रदेश में पहली बार जनता पार्टी यह काम 2007-08 तक के समय में पूरा हुआ। ऐसे ही कई और बड़े पेयजल

के प्रोजेक्ट 2007-12 के बीच पूरे प्रदेश में भाजपा सरकार बनाये।

कांग्रेस का काम ही गुमराह करना है। लोगों को बहकाने में, भाई भतीजावाद में और क्षेत्रवाद में कांग्रेस विश्वास करती है। जनता के लिए पेयजल उपलब्ध कराने में कांग्रेस पार्टी का किया कुछ भी नहीं है ऐसा उन्होंने दावा किया। वर्तमान में प्रदेश में पेयजल किये गये हैं 15 हजार हैन्डपम्प हमने 2007-12 के मध्य स्थापित किये गये हैं। प्रो. धूमल ने भाजपा सरकार में मुझे कहा था की हर साल तीन हजार हैन्डपम्प स्थापित करने हैं। हर साल तीन हजार हैन्डपम्प स्थापित करने का श्रेय भाजपा सरकार को जाता है। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों सहित हमीरपुर व भोरंज के पीने की पानी की समस्या को किसी ने यदि खत्म किया है तो उसका श्रेय धूमल और भाजपा सरकार को जाता है।

उन्होंने कहा की दलबदलतुओं से भाजपा के चुनाव अभियान को कोई फरक नहीं पड़ने वाला हमीरपुर और पूरे प्रदेश में भाजपा और प्रो. धूमल पर प्रभाव है। भोरंज सीट अजित आराम से और अच्छे मतान्तर से जीत कर इतिहास रचेंगे।

वीरभद्र पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, बिंदल बोले, नया जनादेश ले सरकार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से उनके आय से अधिक संपत्ति मामले में के दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दिए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। वीरभद्र सिंह की ओर से पूर्व मंत्री व रिट वकील सलमान खुशी ने इस बावत याचिका दायर की है। इस मामले में सीबीआई ने दिल्ली की सीबीआई की अदालत में चालान पेश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई आगामी दिनों में होगी।

उधर, प्रदेश भाजपा प्रदेश में तुरत चुनाव कराने की मांग कर डाली है। पार्टी प्रवक्ता व पूर्व मंत्री राजीव बिंदल ने यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वीरभद्र सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है ऐसे में नए सिरे से जनादेश लेने के अलावा सरकार के पास कोई और विकल्प नहीं बचा है।

उन्होंने कांग्रेस आलाकमान पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस आलाकमान दिवालिया हो चुका है। देश में शायद ही कोई मुख्यमंत्री रहा हो जो अदालत में भ्रष्टाचार के मामले में चालान पेश होने के बाद पद पर रहा हो। उन्होंने सवाल उछाला कि

भ्रष्टाचार में फंसे वीरभद्र को सीएम पद पर रखने की उसकी क्या मजबूरी है।



बिंदल ने कहा कि सरकार में सीएम खुद को बचाने में लगे है। एक दूरावा गुट है जिन्हें वीरभद्र सिंह ने लाल व नीली बत्ती दे रखी है वो भाजपा को कोसने में लगी है। एक और गुट है जो इस इंतजार में है कि कब वीरभद्र सिंह कुर्सी से उतरे और वो कुर्सी अपने कब्जे में करें। सरकार में यही हो रहा है। बिंदल ने कहा कि सीबीआई, डडी, आयकर के साथ हाईकोर्ट भी गलत है केवल वीरभद्र सिंह ही ठीक है। वह यही कह रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है।

वीरभद्र के LIC एजेंट आनंद चौहान की सुकसु खुद के भद्राचार 'बेल' खास्त्रिज, खुद को ED का बुलावा की बात करें-भाजपा

दिल्ली/शैल। मोदी सरकार में ताकतवर मंत्री व हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के करीबी वित्त मंत्री अरुण जेटली के अधीन इन्फोर्सेमेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लाँड्रिंग केस में 83 वर्षीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को पूछताछ के लिए 13 अप्रैल को तलब किया है। उधर इसी मामले में करीब नौ महीने (जुलाई से) जेल में बंद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के एलआईसी एजेंट आनंद चौहान की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इंडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विपिन सांधी की अदालत में दलील दी कि आनंद चौहान को अगर जमानत दे दी जाती है तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इससे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह संकट में घिर गए हैं। जबकि निश्चित तौर पर ये पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के लिए बर्षों गिफ्ट से कम नहीं है।

इस सारे घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को उनके जन्मदिन पर फोन पर बधाई सेंडेंस भेजा है। इस बधाई सेंडेंस के कूट मायने बताए जा

रहे हैं। इंडी दो बार पहले भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को सम्मान भेज चुका है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं गए। अबकी बार वो जाएंगे या नहीं ये देखना है। अगर इंडी उन्हें गिरफ्तार करना चाहेगी तो इस बार अदालती सुरक्षा घेरा भी नहीं है।

मनी लाँड्रिंग के इस केस में मुख्यमंत्री वीरभद्र की पत्नी व पूर्व कांग्रेस सांसद प्रतिभा सिंह व उनके पुत्र व प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह से पहले ही लंबी पूछताछ हो चुकी है। अब इंडी मुख्यमंत्री का बयान लेना चाहती है। अरेस्ट करेगी इसकी भी बराबर आशंका है।

राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि ये इस बात पर निर्भर करेगा की धूमल परिवार क्या चाहता है। धूमल के जन्मदिन पर उन्हें बधाई सेंडेंस देना इसीलिए मायने रखता है। गौरतलब हो कि 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में एचपीसीए का मामला भी लंगा है। उस मामले में वीरभद्र सरकार का स्टैंड महत्वपूर्ण होगा।

वीरभद्र सिंह लगातार कहते आ रहे हैं कि उनके खिलाफ धूमल परिवार साजिश कर रहा है। इस बावत छोटे

धूमल भी अपनी फेसबुक वाल पर कुछ न कुछ जाहिर करते ही रहते हैं। उनकी फेसबुक वाल दिलचस्प है।

सीबीआई व इंडी की ओर से मुख्यमंत्री वीरभद्र व उनके परिवार के सदस्यों को इस मामले में अरेस्ट न करने के पीछे वीरभद्र सिंह की प्रधानमंत्री मोदी से उनके दोस्ताना ताल्लुकात को वजह माना जा रहा है। इंडी पर तो इल्जाम ही ये है कि एलआईसी एजेंट को तो जेल में डाल रखा है जिसके पैसे थे वो राज कर रहा है।

ऐसा क्यों है इसका जवाब भाजपा नेताओं के पास भी नहीं है। ऐसे में इंडी की ओर से पूछताछ के लिए ये तलबी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

आय से अधिक संपत्ति मामले में पहले ही सीबीआई ने अदालत में चालान पेश कर दिया है। इसमें ट्रॉयल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है लेकिन उनकी याचिका पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। बहरहाल, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह संकटों से घिर गए हैं।

हमीरपुर/शैल। भाजपा विधायक विजय अग्निहोत्री, नरेंद्र ठाकुर, जिला अध्यक्ष अनिल ठाकुर एवं जिला महामंत्री राकेश ठाकुर व अजय शर्मा ने जारी संयुक्त प्रेस विज्ञापित में कहा है की सुकसु की आँखों में दोष पड़ गया है जो उनको भाजपा के कार्यालय के लिए जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। भाजपा पार्टी कार्यालय के लिए जो भूमी खरीदी गयी है उसका भुगतान ड्राफ्ट के माध्यम से किया गया है। वह काला धन नहीं है। क्या राजनितिक दलों के पास काला धन होता है? जो खुद भ्रष्टाचारी हो उसे वैसा ही नजर आता है। सुकसु जेल नादौन में खरीदी गई 600 कनाल गैरमुमकिन दरिया की बात करें जिस पर अवैध खनन करके लगभग 167 करोड़ का घोटाला किया गया है। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गयी की गांव वालों के अधिकारों पर डाका डालकर ये जमीनें खरीदी गई। इस घोटाले पर आखिर सुकसु चुप क्यों हैं? जनता को बेबकूफ बनाकर, गुमराह करके घिनौना खेल रहे हैं सुकसु। भाजपा की सरकार आने पर इसकी जांच करवाई जाएगी और वो दिन दूर नहीं जब सुकसु भी वीरभद्र सिंह की तरह कानून के शिकंजे में होंगे। सुकसु जनता को बताए की प्रदेश में और कितनी जगह जमीनें खरीदी हैं? फागु और सशोबरा में खरीदी गई जमीनों का क्या चक्कर है? फागु में ली गयी जमीन जो की एक अनुसूचित जाति

के व्यक्ति की नौतौड़ जमीन थी, उसका क्या मामला है? शिमला में अवैध पांच मजिल मकान को वैध कैसे करवाया गया। परवाणु, बढी में लिए गए फ्लेट्स का क्या मामला है।

आखिर सुकसु बताएं कि उनका इतनी सम्पत्ति इकट्ठा करने का स्रोत क्या है? भाजपा ने कहा कि नादौन की जनता में अब सुकसु की धोखिलियों का पर्दाफाश हो चुका है। जनता सुकसु के भ्रष्टाचारी चेहरे से वाकिफ हो चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब सुकसु नादौन से भागकर जनता को ठगने की योजना बनाएंगे। लेकिन सुकसु कहीं से भी चुनाव लड़ लें जनता उन्हें हारवेंगी।

आज कांग्रेस पार्टी का दिवालिया पिट चुका है। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष दोनों भ्रष्टाचार में सलिप्त है। वो दिन दूर नहीं जब भाजपा सरकार आने पर सुकसु जेल में होंगे और वीरभद्र सिंह उससे पहले ही जेल की हवा खा रहे होंगे। भाजपा नेताओं ने कहा की सारी जनता जानती है की कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे ही हैं। जिन लोगों पर पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों वह दूसरे लोगों पर कैसे ऊँगली उठा सकते हैं? भाजपा नेताओं ने गांग की कि पहले सुकविंदर सुकसु उपर लिखे तमाम तथ्यों हैं? फागु और सशोबरा में खरीदी गई जमीनों का क्या चक्कर है? फागु में ली गयी जमीन जो की एक अनुसूचित जाति

नड्डा की रैली में नहीं पहुंचा धूमल खेमा

शैल/अर्की। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पार्टी में एक ही परिवार धूमल परिवार का कब्जा उखाड़ फेंकने का आगाज आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केबिनेट मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अर्की में रैली का आयोजन कर कर दिया है। इस रैली में ये भी साफ हो गया है कि प्रदेश में भाजपा अंदरखाते दोफाड़ हो गई है और धूमल खेमा नड्डा का साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। ये इस रैली ने विलयर कर दिया है।

सबसे ज्यादा हैरान इस रैली में धूमल खेमे की गैरहाजिरी ने किया। उनके खेमे के विधायक तो विधायक पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बड़े बेटे व भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर तक रैली में नहीं आए।

वो इस रैली में आएंगे इस बावत अर्की विधानसभा हलके में पिछले एक सप्ताह से यहां से स्थानीय भाजपा विधायक गोबिंद राम शर्मा ने जमकर भोंपू बजवाया था। शायद ये रणनीति कदम था। अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता कि अनुराग ठाकुर को रैली में बुलाया गया हो और वो न आए।

जो भी हो भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर रैली में नहीं आए। संभवतः वह इसलिए नहीं आए होंगे क्योंकि मोदी के मंत्री नड्डा उनके पिता धूमल की सल्लतन को तबाह करने आ गए हैं। यही नहीं इस रैली में इतने सारे भाजपा नेता बोले लेकिन अनुराग ठाकुर का किसी ने नाम तक नहीं लिया।

भाजपा की ओर से मंडी के कदावर नेता जयराम ठाकुर और महेंद्र सिंह ठाकुर तक नड्डा को सहारा देने इस रैली में पहुंच गए हैं। जयराम ठाकुर और महेंद्र सिंह ठाकुर को खिलाफ धूमल खेमा एक अरसे से चित करने पर लगा है।

यही स्थिति शिमला से भाजपा

विधायक सुरेश भारद्वाज की भी है। धूमल खेमा उन्हें भी चित करने की जुगत में लगा हुआ है। वो भी एक अरसे से धूमल विरोधी खेमे में शुमार हैं। इसीलिए नड्डा की रैली के लिए अर्की विधानसभा क्षेत्र सोच समझ कर चुना गया।

अर्की से धूमल खेमा गोबिंद राम शर्मा की जगह किसी और को टिकट दिलाया चाहता है। इस खेमे

चूँकि राष्ट्रीय स्तर पर अमित शाह नड्डा की जुड़ली के हैं सो सती को तो आना ही था। उन पर पहले ही ये इल्जाम है कि उन्होंने प्रदेश की भाजपा को धूमल परिवार का बंधुआ बना दिया है। आरएसएसएर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह व प्रधानमंत्री मोदी पहले ही भाजपा को प्रदेशों में स्थानीय नेताओं की ओर से पार्टी के बंधुआ बनाने की रीवायत को खत्म करने का फैसला



ने रिटायर आईएसएस अफसर आर. एस. गुप्ता पर निगाह लगा रखी थी। वो धूमल के सबसे वफादार अफसरों में रहे हैं। लेकिन वो अभी मुकर रहे हैं। इसके अलावा वहां से धूमल के एक अन्य करीबी भी कतार में हैं। धूमल खेमे की इस घेरेबंदी से गोबिंद राम शर्मा असहज हैं। ऐसे में वो नड्डा खेमे में आश्रय ढूँढ़ रहे हैं व नड्डा खेमे ने उन्हें हाथों हाथ ले भी लिया है। आज की रैली में ये साबित हो भी गया है और नड्डा ने सीएमशिप की अपनी दावेदारी को पुख्ता कर दिया है।

इस रैली में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सती ने भी शिरकत की।

ले चुके हैं।

ऐसे में नड्डा ने अर्की से रैली कर ये सीधा संदेश दे दिया है कि वो बीजेपी से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सीएम पद के प्रत्याशी हैं और उनके साथ कौन कौन है ये भी पब्लिक कर दिया है। अब दोनों खेमों में जंग शुरू हो गई है। धूमल खेमे में रविंद्र रवि, गुलाब सिंह ठाकुर, वीरेंद्र कंवर, रणधीर शर्मा जैसे जाबाज हैं तो नड्डा खेमे को जयराम, महेंद्र सिंह, सुरेश भारद्वाज के अलावा शांता कुमार का सहारा है।

इस सारे खेल में अर्की से भाजपा विधायक गोबिंद शर्मा अपनी नैया पार लगा पाएंगे या नहीं इस पर सबकी निगाह लगी है।

सुधीर शर्मा धर्मशाला में करेंगे हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता

शिमला/शैल। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोहों के आयोजन में आंशिक परिवर्तन किया गया है। शहरी विकास मंत्री सुधीर

शर्मा अब धर्मशाला में जिला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे, जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल मण्डे में।

सतत व्यावसायिक विकास पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित

शिमला/शैल। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग व हि.प्र. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अन्तर्गत महिला एवं बाल विकास से निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में बाल बालिका आश्रमों के संचालक स्टाफ तथा एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत विभिन्न पदाधिकारियों के लिए 'सतत व्यावसायिक विकास' पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ शिमला में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या रूप कपूर ने किया। इस दौरान 'बाल अधिकार-एक अवलोकन' विषय पर जानकारी भी दी गई।

विभाग की प्रधान सचिव अनुराधा ठाकुर ने कार्यशाला में विभाग से सम्बन्धित कार्यकलापों एवं बाल परामर्श के महत्व व एनसीपीसीआर के साथ सहभागिता के आधार पर बाल बालिका आश्रमों में बच्चों की मनोस्थिति को समझने की आवश्यकता पर बल दिया।

डॉ. निमेश जी देशाई निदेशक, इंडियन ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड एलाइड साईंसिज, नई दिल्ली ने बाल संरक्षण संस्थाओं में मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। पीजीआई चंडीगढ़ से डॉ. आदर्श कोहली

ने बच्चों की काउंसलिंग (परामर्श) विषय पर इसकी परिभाषा तथा इससे सम्बन्धित मुद्दे इत्यादि से सम्बन्धित जानकारी दी। इस कार्यशाला से बाल/बालिका आश्रमों में रह रहे बच्चों की मनोस्थिति को समझने में आसानी होगी।

डॉ. आशीष खन्ना सहायक प्रोफेसर आईएचबीएसए ने 'विक्रिमज ऑफ चाइल्ड एब्यूज एंड लेवलज ऑफ केयर चिल्ड्रन विद डिस्एबिलिटी बारे रोल प्ले के माध्यम से जानकारी दी।

डा. विश्वदीप चटर्जी, प्रोफेसर एम्स दिल्ली ने नशे में सलिप्त व मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के उपचार व पुनर्वास के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

निदेशक महिला एवं बाल विकास मानसी सहाय ठाकुर ने धन्यवाद किया। उन्होंने प्रतिभागियों से अपने-अपने कार्यक्षेत्र में कार्यशाला के दौरान महिला एवं किशोर न्याय अधिनियम बारे दिये गये निदेशों का कार्यान्वयन प्रभावी तरीके करने को कहा ताकि बच्चों के अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। कार्यशाला में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किये गये।

आवासीय परिसर गिराने के मामले में एच पी सी ए के खिलाफ रद्द नहीं हुई एफ आई आर

शिमला/शैल। प्रदेश उच्च न्यायालय ने एच पी सी ए के खिलाफ राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के आवासीय परिसर को अवैध रूप से गिराने और उसकी 720 वर्गमीटर भूमि पर नाजायज कब्जा करने के प्रकरण में दर्ज एफ आई आर को रद्द किये जाने के आग्रह को अस्वीकार कर दिया है। उच्च न्यायालय का यह फैसला एच पी सी ए और अनुराग ठाकुर के लिये एक करारा झटका माना जा रहा है। यह मामला विशेष जज धर्मशाला की अदालत में लंबित है क्योंकि अदालत द्वारा इसका संज्ञान लेने के तुरन्त बाद इसे उच्च न्यायालय में चुनौति दे दी गई थी। इस एफ आई आर को रद्द किये जाने के लिये एच पी सी ए से संजय शर्मा और गौतम ठाकुर ने अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं। इसमें एफ आई आर रद्द किये जाने के लिये उच्च न्यायालय के समक्ष सात आधार रखे गये थे। इनमें एक आधार यह था।

Prosecution sanction against some of the officers had already been refused by the Central Government and in case of certain individuals, the State Government itself had not granted the prosecution sanction and that apart some of the officers who are the blue eyed boys of the government have been

intentionally left out and not arraigned as an accused, therefore, the prosecution proceedings cannot continue and deserve to be quashed. अदालत ने इस आधार को यह कहकर अस्वीकार कर दिया है **Suffice it to state that even this contention sansmerit as all these questions can only be determined during the trial wherein the exact role and complicity of the petitioners visa- vis the so-called blue eyed boys or with those of the officials where prosecution sanction has been refused can be evaluated and considered. Moreover, the mere fact that the Central Government has refused to accord sanction does not in any manner improve the case of the petitioners as they admittedly are not government servants and no prosecution sanction in their cases is otherwise required to be obtained.**

स्मरणीय है कि यह मामला कांगड़ा जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी की शिकायत पर 1.8.2013 को आईपीसी की धारा 420, 406, 120B, 201 और पी सी एक्ट की धारा 13(2) के तहत एफ आई आर नं 10/13 के रूप में दर्ज किया गया था। इसकी जांच के दौरान यह सामने आया कि 4.4.2008 को तत्कालीन जिलाधीश कांगड़ा के. क. पन्त की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें एस डी एम कार्यकारी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय और संजय शर्मा शामिल हुए। यह बैठक कॉलेज के आवासीय परिसर को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर बुलाई गयी थी और इसमें यह निर्णय हुआ कि कॉलेज के प्रिंसिपल इस परिसर की स्थिरता का आकलन करने के लिये कार्यकारी अभियन्ता को पत्र लिखेंगे और तहसीलदार की सहायता से जगह की तलाश करेंगे। इसी के साथ यह भी तय हुआ कि प्रिंसिपल सचिव शिक्षा को पत्र लिखकर इसके लिये धन का प्रावधान करें। जिलाधीश कांगड़ा यहां रह रहे अध्यापकों को अन्यत्र आवास उपलब्ध करवायें तथा एच पी सी ए भी इसके लिये धन का योगदान दें। इस बैठक में हुये फैसलों की जानकारी 20.3.2008 को निदेशक उच्च शिक्षा को भेज दी गयी और प्रिंसिपल ने 25 दिन बाद इसके आकलन के लिये कार्यकारी अभियन्ता को पत्र भेजकर सूचित कर दिया कि **"It is submitted that Type-IV quarter constructed**

opposite cricket stadium at Dharamshala are in very dilapidated condition and are beyond economical repair".

इसके बाद 8 जून 2008 को प्रधान सचिव युवा सेवाएं एवम खेल ने प्रधान सचिव शिक्षा को यह पत्र भेजा कि एच पी सी ए इस जमीन को लीज पर लेना चाहती है और यह जमीन शिक्षा विभाग के नाम है और इस पर परिसर स्थित है जिसके कारण इसे नहीं दिया जा सकता और इसके लिये शिक्षा विभाग का एनओसी चाहिये। इसके बाद शिक्षा विभाग ने यह एनओसी जारी कर दिया जिसे 19.11.2008 को शिक्षा मन्त्री ने स्वीकृति प्रदान कर दी तथा 25.11.2008 को यह युवा सेवाएं विभाग के नाम हो गया। इस जमीन की लीज के लिये अनुराग ठाकुर ने बतौर एच पी सी ए अध्यक्ष 3.7.2008 को निदेशक युवा सेवाएं एवं खेल को पत्र लिखा। जबकि जिलाधीश 4.4.2008 को ही इस संदर्भ में अपनी कारवाई बैठक बुलाकर शुरू कर देते हैं। इसके बाद 8 जून 2008 को प्रधान सचिव युवा सेवाएं एवम खेल प्रधान सचिव शिक्षा को पत्र लिखकर इसके लिये एनओसी का प्रबन्ध कर लेते हैं। यह भवन 2009-10 में

गिराया जाता है जब रियो कन्स्ट्रक्शन और एएनएस इसका निर्माण कार्य शुरू करते हैं। इस मामले के पूरे तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि इसमें युवा सेवाएं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अति उत्साही होकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस आवासीय परिसर का निर्माण ही 1979-80 में हुआ था और इसके लिये यूजीसी ने भी करीब चार लाख रूपया उस समय दिया था। यह भवन स्टेडियम के मुख्य द्वार और स्टेडियम के बीच पड़ता था और इस नाते एच पी सी ए को इसकी आवश्यकता थी। लेकिन उसके लिये अधिकारियों ने जिस ढंग से सारे काम को अन्जाम दिया है उससे आज यह अपराध बनकर सामने खड़ा हो गया है। एचपीसीए ने इस एफआईआर को रद्द किये जाने के लिये एक आधार यह भी लिया है कि इसमें अधिकारियों के स्तर पर हुये प्रशासनिक चूक के लिये उन पर अपराधिक जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती है।

लेकिन एचपीसीए के इन तर्कों से यह इंगित होता है कि जब इस मामले का ट्रायल शुरू होगा तो **"Blue eyed"** अधिकारियों का खुलासा भी होगा और उनके खिलाफ कारवाई की नौबत भी आयेगी। सचिवालय के गलतियों में इसको लेकर चर्चाओं का दौर शुरू है।

क्या वीसी के खिलाफ विजिलैन्स जांच होगी? पीएमओ में पहुची शिकायत सरकार से मांगी रिपोर्ट

शिमला/शैल। प्रदेश विधिविधालय के वी सी डा. ए.डी.एन. वाजपेयी को खिलाफ पिछले दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा में आयी एक महिला की शिकायत का मामला पीएमओ में पहुंच चुका है। पीएमओ से यह शिकायत प्रदेश सरकार के पास आ चुकी है और इस पर रिपोर्ट तलब की गयी है। सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के गृह विभाग के पास पहुची इस शिकायत को शिक्षा विभाग को सौंपा गया है। मुख्यमंत्री के पास ही शिक्षा विभाग भी है और इस नाते अब यह मामला मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक इस शिकायत पर गृह विभाग ने विजिलैन्स जांच करवाये जाने की अनुशंसा की है। हालांकि गृहमन्त्री भी मुख्यमंत्री ही हैं। परन्तु मामला शिक्षा विभाग का होने के नाते इसे शिक्षा विभाग को सौंपा गया था।

जब यह मामला चर्चा में आया था तब यह राज्यपाल के दरबार में भी पहुंचा था। परन्तु चर्चा है कि तब एक पत्रकार के बीच बचाव करने के कारण राजभवन ने इस पर कोई कारवाई नहीं की थी और इसी कारण राज्य सरकार ने भी इस पर चुप्पी साध ली थी। परन्तु अब यह मामला संघ से ही जुड़े एक संगठन ने प्रधानमन्त्री कार्यालय तक

पहुंचा दिया है और उसके बाद प्रधानमन्त्री कार्यालय ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है। चर्चा है कि जब से प्रधानमन्त्री कार्यालय ने इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है तभी से इस शिकायत में नामजद हुए विश्वविद्यालय के अध्यापकों से संपर्क साधकर उनसे यह बयान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह शिकायत बेवुनियाद है। यह अध्यापक जिन्हें इस शिकायत में गवाह बताया गया है वह अब इस पर क्या रुख अपनाते हैं इसका खुलासा आने वाले दिनों में ही होगा।

लेकिन शिकायत की गंभीरता को देखते हुए इस प्रयाग पर राजभवन, राज्य सरकार और महिला आयोग तक का चुप रहना कई सवाल खड़े करता है क्योंकि पीडित महिला ने यह शिकायत महिला आयोग को भेजी थी। प्रिन्ट मीडिया में भी इसकी चर्चा हुई थी। कायदे से महिला आयोग को तो इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। यदि यह शिकायत निन्धार था जो कि आज तक नहीं आया है और यही इस शिकायत की गंभीरता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

पत्रकार हाऊसिंग सोसायटी को लेकर फिर उठे सवाल

शिमला/शैल। शिमला स्थित पत्रकारों सहकारी हाऊसिंग सोसायटी को लेकर 12.11.2014 को वरिष्ठ सीएम कुंभकर्णी ने जो सवाल उठाये थे उनको लेकर जिलाधीश शिमला को पत्र लिखा था। इस पत्र में सोसायटी के कुछ सदस्य पत्रकारों के शपथ पत्रों की प्रमाणिकता पर सन्देह व्यक्त किया गया था। इस पत्र पर हुई कारवाई के तहत यह मामला आगामी कारवाई के लिये 24.12.2014 को एसडीएम को भेजा गया था। इससे पहले 21.4.2011 को भी ऐसा ही एक पत्र दिनेश गुप्ता ने सहायक पंजीकार सहकारी सभाओं को भेजा था। कुंभकर्णी और दिनेश गुप्ता के पत्रों पर अन्तिम रूप से क्या कारवाई हुई है इसकी कोई जवाब जानकारी सामने नहीं आ पायी है। परन्तु पत्रकार हाऊसिंग सोसायटी के अतिरिक्त सचिवालय कर्मचारियों की हाऊसिंग सोसायटी अधिकारियों की हाऊसिंग सोसायटी विधायकों की

हाऊसिंग सोसायटी और डाक्टरों की हाऊसिंग सोसायटी को लेकर भी कई बार सवाल उठ चुके हैं। इन सवालों के जबाब पंजीयक सहकारी सभाओं की ओर से आने हैं। लेकिन इस समय प्रदेश में करीब पचास हजार एनजीओ सहकारिता अधिनियम के तहत पंजीकृत है। नियमों के अनुसार इन सबका ऑडिट करने की जिम्मेदारी सहकारिता विभाग की है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अभी तक करीब चार हजार की ही ऑडिट रिपोर्ट विभाग के पास है। पत्रकार हाऊसिंग सोसायटी को लेकर एक आर्टीआई एक्टिविस्ट डा.पवन बंटा ने आर्टीआई के तहत सूचना हासिल करने के यह आरोप लगाया है कि यह सोसायटी तीज अनुबन्ध की धारा 9 और 12(बी) के प्रावधानों का खुले तौर पर उल्लंघन कर रही है। धारा नौ के तहत इसका सरकार की अनुमति के बिना इसका लैण्डयूज नहीं बदला जा सकता। धारा 12(बी) के तहत

इसके सदस्यों को यह शपथ पत्र देना होता है कि शिमला में उनके अपने या अपने किसी परिजन के नाम पर कोई मकान, प्लॉट या प्लॉट नहीं होना चाहिये। डा. बन्टा का आरोप है कि इस सोसायटी के करीब आधा दर्जन सदस्यों के पास शिमला में सोसायटी के गठन से पहले ही मकान, प्लॉट या प्लॉट हैं और उन्होंने गलत शपथ पत्र दायर किये हैं। कुछ सदस्यों पर सोसायटी के परिसर पत्रकार विहार से वाणिज्यिक गतिविधियां चलाने का भी आरोप है।

डा. बन्टा ने अपने आरोपों के प्रमाण भी आर्टीआई के माध्यम से ही हासिल करे रखे हैं। इस संबंध में जिलाधीश शिमला और पंजीयक सहकारी सभाओं को भी शिकायत भेज दी गयी है। माना जा रहा है कि यदि इन कार्यालयों की ओर से कोई कदम न उठाये गये तो मामला न्यायालय तक भी पहुंच सकता है।